

सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य)

27 नवंबर, 2001

(न्यामूर्तिगण एम 0 बी0 शाह और बी0 एन 0 अग्रवाल)

दंड संहिता, 1860/शस्त्र अधिनियम, 1959-धारा 302 एवं 307/धारा 271(1) और (3)-आरोपी की दोषसिद्धि और सजा-साक्षी की पुष्टि-एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य की समपुष्टि-दिनदहाड़े हुई घटना-अभियुक्तों की पहचान में असंभवता नहीं-ऐसे साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि-धारा 302 और 307 के अन्तर्गत आरोपियों की सजा बरकरार रखी गई।

आपराधिक विचारण-

एकमात्र चश्मदीद साक्षी के साक्ष्य-की-विश्वसनीयता-उसकी रिश्तेदारी से एवं चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट होती है- धारित, ऐसे चश्मदीद साक्षी की साक्ष्य को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गया है और वह अभियोजन के केस का समर्थन नहीं कर रहा है।

अन्य आरोपियों की पहचान-विश्वसनीयता-प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता के कथन से कि वह आरोपी को चेहरे से भी नहीं पहचान सका-इस प्रकार परीक्षण पहचान परेड में आरोपी की पहचान प्रहसन होती है और न्यायालय में उसकी पहचान पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 377-राज्य सरकार द्वारा अपील-दण्ड में वृद्धि-आजीवन कारावास से मृत्युदंडादेश - केवल तभी उचित है जब उपयुक्त हो और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो।

धारा 220(3)- दो अपराधों के लिए एक साथ अभियोजन-एक आरोपी का कार्य जब एक ही अनुक्रम में-दंड संहिता के साथ शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संस्थान करता है-ऐसे प्रत्येक अपराध का परीक्षण विधि में अनुमन्य है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपने चाचा के साथ प्रथम सूचनादाता और उनके अंगरक्षक एक कार में यात्रा कर रहे थे। एक मोटरसाईकिल, जिसकी सीट पर पीछे अपीलार्थी 'एस' बैठा हुआ था, कार के दाईं ओर पीछे से आई और स्टेंगन से गोली चलाई गई और एक स्कूटर के पीछे की सीट पर बैठे हुए अपीलार्थी 'एमए' ने भी कार के दाहिनी ओर गोलीबारी की। परिणामतः सूचनादाता घायल हो गया जबकि उसके चाचा की मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना के लिए कथित

उद्देश्य यह था कि घटना से पहले अपीलार्थी 'एस' ने सूचनादाता से दो या तीन बार फिरौती की मांग की थी, जिसे सूचनादाता ने अस्वीकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के उपरान्त अभियुक्त व्यक्तियों को मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। परीक्षण सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया और अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास का दण्ड दिया। अपीलार्थी 'एस' को मृत्युदंड और अपीलार्थी 'एमए' को शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत भी कारावास का दण्ड दिया। अपीलार्थी ने उनकी दोषसिद्धि के विरुद्ध और प्रत्यर्थी राज्य ने अपीलार्थी 'एमए' को दिये गये दण्ड को बढ़ाने के लिए अपीलें दायर की। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी 'एमए' एवं प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपीलार्थी 'एस' को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत दोषसिद्धि एवं दिये गये दण्ड को निरस्त कर दिया, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत अपीलार्थी 'एस' की सजा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत उसकी दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा किन्तु मौत की सजा सुनाई। अतः यह वर्तमान अपीलें संस्थित हुई

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अवधारित किया: 1.1 . यह नहीं कहा जा सकता कि सूचनादाता के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया चूँकि अभियोजन कथानक का समर्थन दूसरे चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा नहीं किया गया है जो पक्षद्रोही हो गया, चूँकि सूचनादाता, वह घायल व्यक्ति था जिसके साक्ष्य की पुष्टि उसके पिता और उसके भाई और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गयी थी। ( 346 – ए; बी, )

1.2 . सूचनादाता के पिता ने कहा कि दो या तीन बार सूचनादाता ने फिरौती की मांग के लिए उनकी उपस्थिति में अपीलार्थी 'एस' के टेलीफोन कॉल प्राप्त किये थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने भी अपीलार्थी 'एस' की फिरौती की माँग वाली एक टेलीफोन कॉल प्राप्त की थी, जिसमें वह फिरौती की माँग कर रहा है। यहाँ तक कि सूचनादाता के भाई ने भी कहा कि घटना का कारण सूचनादाता से अपीलार्थी 'एस' की फिरौती की मांग थी, जो पूरा नहीं की गयी थी। इसलिए, प्रस्तुतीकरण यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अपराध के उद्देश्य को सिद्ध करने में अभियोजन विफल रहा, चूँकि इसे सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। (346 – सी-ई, )

1.3 . सूचनादाता ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के पाँच से छह दिन पहले उसका परिचय अपीलार्थी 'एस' से उसके एक अंगरक्षक द्वारा एक होटल में कराया गया था, जहाँ पर वे नाश्ता करने गए थे। इसलिए, घटना, जो कि व्यापक दिन की रोशनी में हुई और जैसा कि अपीलार्थी 'एस' को सूचनादाता के समक्ष होटल में भले ही एक बार घटना से पूर्व परिचयांकित किया गया था,

342 सर्वाच्च न्यायालय की रिपोर्ट: 2001, एस. यू. पी. पी. 5 एस सी आर।

किया गया था, अतः सूचनादाता द्वारा अपीलार्थी 'एस' की पहचान में कोई असंभाव्यता नहीं है। (346 - एफ; जी,)

1.4 . उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता 'एमए' के विरुद्ध दोषसिद्धि दण्ड को बरकरार रखना न्यायोचित नहीं पाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपीलकर्ता 'एमए' की पहचान नहीं कर सकता था, अपितु चेहरे से भी नहीं पहचाना जा सकता था और उसने पहली बार अपीलकर्ता 'एमए' की पहचान सत्र न्यायालय में की। इसलिए परीक्षण पहचान परेड में सूचनादाता द्वारा अपीलार्थी की पहचान करना प्रहसन बन जाता है और न्यायालय में की गयी उसकी पहचान पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ( 347 - जी; एच; 348-ए; बी, )

2. यह पूर्णस्थापित तथ्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये अभियुक्त के दण्ड को बढ़ाया जा सकता है और यह केवल इसलिए प्रभावित नहीं होता क्योंकि सजा बढ़ाने के लिए संहिता की धारा 377 के अन्तर्गत अपील का प्रावधान किया गया है। और ऐसी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी 'एस' को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अन्तर्गत अपीलार्थी 'एस' की दोषसिद्धि को बरकरार रखना उचित ठहराया गया था, परन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दी गई आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड तक वृद्धि करने में उचित नहीं ठहराया गया। (347 - ए; बी; डी; ई, )

नादिर खान प्रति राज्य (दिल्ली प्रशासन), आकाशवाणी (1976) एससी 2205 और एकनाथ शंकरराव मुक्कावर प्रति महाराष्ट्र राज्य, आकाशवाणी (1977) अनुसूचित जाति 1177 , संदर्भित किया गया।

जयराम विठाबो और अन्न प्रति बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 146 और बचन सिंह और अन्य प्रति पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1980) एस. सी. 267, पर विश्वास किया गया।

3. अपीलार्थी 'एस' द्वारा सूचनादाता पर गोली चलाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत पीड़ितों पर गोली चलाने का कृत्य दण्डनीय अपराध एवं इसके साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27(3) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध बनता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा

220 (3) के अन्तर्गत विद्यमान प्रावधानों की दृष्टि में यदि एक ही अनुक्रम में किसी अभियुक्त का कृत्य अलग-अलग कानूनों के अन्तर्गत एक से अधिक अपराध का गठन करता है, तो उक्त आरोपित व्यक्ति पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं था कि उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी 'एस' पर एक साथ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी, और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत आरोप पूरी तरह से अनावश्यक थे। (348 - जी-एच; 349-ए; बी,)

### **आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 628-629 वर्ष 2001**

राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. आर. सी. सं. 1 वर्ष 2000 (आर),, दा0 अपील संख्या 115 वर्ष 2000 तथा शासकीय अपील सं. 17 (आर) एवं दा0 अपील सं0 630, 1210-1211 वर्ष 2001 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 18.12.2000 से

पी. एस. मिश्रा, रंजीत कुमार और एस. बी. सान्याल, हिमांशु मुंशी, एल. आर. सिंह (एन. पी.), अम्बोज कुमार सिन्हा, वरुण गोस्वामी, नीरज शेखर, अशोक माथुर, राजेश पाठक, उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

बी. एन. अग्रवाल, जे. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) नं. 1964-65 2001 में अनुमति याचिका स्वीकार

इन अपीलों को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत फैसले के खिलाफ प्रस्तुत किया गया। सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली, जो आपराधिक अपील सं. 628-29 वर्ष 2001 में एकमात्र अपीलार्थी है, एवं मौ0 अनीस जो आपराधिक अपील संख्या 630 वर्ष 2001 में अपीलार्थी है, को विचारण न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त दोषसिद्ध किया गया था। सुरेंद्र सिंह रौतेला को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 302 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया था और दोनों मामलों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त उसे धारा 27 ( 3 ) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत भी दोषी ठहराया गया और मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया तथा मृत्युदण्ड की पुष्टि हेतु मामला उच्च न्यायालय को सन्दर्भित किया गया। मोहम्मद. अनीस को दोषी ठहराया गया था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 307 के अन्तर्गत क्रमशः आजीवन कारावास और दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त मौ0 अनीस को शस्त्र अधिनियम की

धारा 27 (1) के अन्तर्गत भी दोषी ठहराते हुए सात साल के लिए कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। इनके खिलाफ दी गई सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था, हालाँकि, अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी जिसमें उन्हें दण्ड दिया गया था, जबकि राज्य की ओर से मोहम्मद अनीस के खिलाफ दी गई आजीवन कारावास की सजा में वृद्धि करके मृत्युदंड दिये जाने अपील की गयी। उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय द्वारा संदर्भ का निपटारा किया और

344 सर्वाच्च न्यायालय की रिपोर्ट: 2001, एस. यू. पी. 5 एस सी आर।

अपीलार्थी मौ० अनीस एवं प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह रौतेला को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत दोषसिद्धि एवं दिये गये दण्ड को निरस्त कर दिया, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह रौतेला की सजा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत उसकी दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा और मौत की सजा को पुष्ट किया।

अभियोजन मामला, संक्षेप में, यह है कि 4 अप्रैल, 1966 को सुबह 10.00 पर सूचनादाता रंजन सिंह (पीडब्लू 7) अपने भौतिक चाचा धनंजय सिंह के साथ और उनके अंगरक्षक श्याम बिहारी सिंह (पीडब्लू 4) और कारु सिंह एक मारुति कार में अपने स्थान पर जा रहे थे जहाँ अनुबंध का काम चल रहा था। रंजन सिंह ( पीडब्लू 7) कार चला रहा था और धनंजय सिंह उसके बगल में बैठे थे, जबकि श्याम बिहारी सिंह (पीडब्लू 4) और कारु सिंह गाड़ी की सीट पर पीछे बैठे थे। श्याम बिहारी सिंह के पास रंजन सिंह (पीडब्लू 7) की लाइसेंस रिवॉल्वर थी। लगभग सुबह 10.20 बजे, जब कार बूटी रोड पर सैन्य चौक के पास पहुंची तो एक काले रंग की यामाहा मोटर साइकिल कार के दाईं ओर पीछे से आई, जिसके पीछे अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह रौतेला बैठा था और उसने एक स्टेनगन द्वारा रंजन सिंह (पीडब्लू 7) पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसने खुद को पीछे धकेल दिया। इस बीच स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति द्वारा भी कार के बाईं ओर से गोलीबारी की गयी। वहाँ सूचनादाता ने गाड़ी को यातायात चौकी के सामने रोक दिया। इसके परिणामस्वरूप रंजन सिंह (पीडब्लू 7) और उनके मामा धनंजय सिंह घायल हो गए। इसके बाद आरोपी फरार हो गये। उस समय कुछ पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और रंजन सिंह (पीडब्लू 7) और धनंजय सिंह को घायलावस्था में राजेन्द्र मैडिकल कॉलेज हस्पताल ले गये, जहां पर डॉक्टरों ने धनंजय सिंह को मृत घोषित कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहा गया था रंजन सिंह (पीडब्लू 7) उस व्यक्ति को देखते ही पहचान कर सकता है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था और कार में बैठे अन्य लोग बाईं

ओर से स्कूटर पर सवार फायरिंग करने वाले व्यक्ति को देखकर पहचान सकते थे। इस घटना का कारण, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है, यह था कि घटना से पहले अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला ने रंजन सिंह (पीडब्लू 7) से दो या तीन बार फिरौती के रूप में दो लाख रुपये की मांग की थी, जो उसके द्वारा मना कर दिया गया था जिसके कारण वर्तमान घटना हुई। उपरोक्त तथ्यों को बताते हुए, पुलिस ने उसी दिन सुबह 11.30 पर अस्पताल में रंजन सिंह (पीडब्लू 7) का फर्दबयान दर्ज किया था, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई थी।

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और जांचोपरान्त आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों को परीक्षण सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल चौदह साक्षी से पूछताछ की और मुकदमे के समापन पर, निचली अदालत ने दोषी ठहराया और अपीलार्थियों को सजा सुनाई, जिस पर अभियुक्त व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य द्वारा भी ऊपर वर्णित अपीले विशेष अनुमति याचिका के रूप में प्रस्तुत की गई और उनका निपटारा किया गया।

सबसे पहले, हम सूचनादाता रंजन सिंह (पीडब्लू 7) द्वारा समर्थित घटना के दृश्य संबंधी संस्करण पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट और इस साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, उनके और मृतक धनंजय सिंह के अतिरिक्त कार में दो अन्य सवार थे, जो चश्मदीद साक्षी थे, नामतः श्याम बिहारी सिंह (पीडब्लू 4) और कारु सिंह, जिनमें से कारु सिंह की मुकदमे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई जिनका साक्ष्य नहीं हो पाया। श्याम बिहारी सिंह को पीडब्लू 4 के रूप परीक्षित किया लेकिन चूंकि उसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया, इसलिए वह पक्षद्रोही घोषित हुआ था। इस प्रकार, रंजन सिंह (पीडब्लू 7) एकमात्र चश्मदीद साक्षी थे। इस साक्षी को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर आग्रेयास्त्रों से चोटें आई हैं। डॉ. वी. के. जैन (पीडब्लू 8) के साक्ष्य से सामने आया जिन्होंने घटना की तारीख को ही उस अस्पताल में साक्षी का चिकित्सीय परीक्षण किया था। जहाँ उसे भर्ती किया गया था। इस साक्षी ने सभी ताथ्यिक विवरणों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और उनके साक्ष्य की पुष्टि राम पाल सिंह (पीडब्लू 1), ओम प्रकाश ( पीडब्लू-3) और कुंदन प्रकाश (पीडब्लू 5) ने की है, जिनमें से पीडब्लू 1 उनके पिता और पीडब्लू 3 और पीडब्लू 5 उनके भाई हैं, जो सुबह 11.00 पर अपने ही घर पर थे, और सूचना पर तुरंत ही अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर घटना की तारीख की सुबह पुलिस द्वारा पीडितों को अस्पताल ले जाया गया था जहां पर और जिनके सामने सूचनादाता ने घटना के बारे में बताया और अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला का नाम घटना के सम्बन्ध में लिया। डॉ. ए. के. चौधरी (पीडब्लू 6) के रूप में

रंजन सिंह (पीडब्लू 7) का बयान चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, जिसके अनुसार धनंजय सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम समय 4 बजे हुआ था, मृतक के शरीर पर आग्रेयास्त्र की चोटें थी, और पोस्टमॉर्टम से तीन से अठारह घंटे पूर्व मृत्यु हुई थी, जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त शव से एक गोली बरामद हुई जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया गया, जहाँ इसकी जाँच एजाज अहमद खान (पीडब्लू 12), उपनिदेशक, रांची क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, द्वारा की गई थी, जिन्होंने राय दी कि घटना में प्रयुक्त गोली 9 मिमी की थी, जबकि आरोपी सुरेंद्र सिंह रौतेला ने पुलिस अधिकारी पीडब्लू 14 के सामने दिये बयान में तथा 9 मिमी क्षमता कैलिबर सहित अभियुक्त की सिरेमिक की फैक्ट्री में रखी अलमारी से 9 मिमी क्षमता कैलिबर का आग्रेयास्त्र बरामद हुआ, जिस अलमारी की चाबी अभियुक्त द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के रूप में रंजन सिंह (पीडब्लू 7) के साक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, चूँकि एक अन्य चश्मदीद साक्षी श्याम बिहारी सिंह (पीडब्लू 4) द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। हमारी राय में, इस तथ्य को देखते हुए कि रंजन सिंह (पीडब्लू 7) एक घायल व्यक्ति हैं और उसके साक्ष्य की पुष्टि अभियोजन साक्षीगण 1, 3 और 5 और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की जाती है, हम उसके साक्ष्य को केवल इसलिए महत्वहीन नहीं कर सकते क्योंकि एक अन्य साक्षी श्याम बिहारी सिंह (पीडब्लू 4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

श्री मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटना का उद्देश्य सिद्ध करने में विफल रहा है जिसका प्रकटन प्रथम सूचना रिपोर्ट में बिना किसी साक्ष्य के किया गया है। हमारे विचार में उक्त बिन्दु मात्र अस्वीकार करने के लिए किया गया है चूँकि तीन साक्षियों अर्थात् राम पाल सिंह (पीडब्लू 1), ओम प्रकाश (पीडब्लू 3) और कुंदन प्रकाश (पीडब्लू 5) द्वारा घटना के उद्देश्य को सिद्ध किया गया है। राम पाल सिंह (पीडब्लू 1), जो सूचनादाता के पिता हैं, ने कथन किया है कि दो या तीन बार अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला की ओर से उनकी उपस्थिति में सूचनादाता को टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए और फिरौती के रूप में दो लाख रुपये की मांग की गई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें भी अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला का फिरौती की मांग करने वाला एक टेलीफोन कॉल आया था। सूचनादाता के भाई ओम प्रकाश (पीडब्लू 3) ने कहा है कि घटना का कारण यह था कि सुरेंद्र सिंह रौतेला ने दो लाख रुपये की धनराशि की मांग की थी। सूचनादाता कुंदन प्रकाश (पीडब्लू 5), जो सूचनादाता का एक और भाई है, ने बताया कि रंजन सिंह (पीडब्लू 7) ने बताया था कि घटना

का कारण सूचनादाता द्वारा अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला की फिरोती की मांग को पूरा करने से इनकार करना था।

अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि रंजन सिंह (पीडब्लू 7) द्वारा इस अपीलार्थी की पहचान अत्यधिक असंभव थी चूँकि सक्षम के रूप में इस साक्षी ने उसे घटना से पहले केवल एक बार देखा था। यह साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना से पांच से छह दिन पहले, कचहरी रोड पर गंगा आश्रम होटल में श्याम बिहारी सिंह (पीडब्लू 4) द्वारा अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला से उसका परिचय कराया गया था, जहाँ वे नाश्ता करने गए थे। चूँकि यह घटना दिन के उजाले में हुई थी और चूँकि इस अपीलार्थी को होटल में इस साक्षी से मिलवाया गया था, इसलिए हम साक्षी द्वारा अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला की पहचान में कोई असंभाव्यता नहीं पाते हैं।

श्री मिश्रा ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायसंगत नहीं हुआ कि इस अपीलार्थी के खिलाफ दी गई सजा को उम्रकैद से बढ़ाकर मौत की सजा कर दिया गया है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 377 के अन्तर्गत कोई अपील दण्ड वृद्धि हेतु राज्य द्वारा नहीं की गई है। यह भी आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जबकि यह पूर्णस्थापित तथ्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये अभियुक्त के दण्ड को बढ़ाया जा सकता है और यह केवल इसलिए प्रभावित नहीं होता है क्योंकि संहिता की धारा 377 के अन्तर्गत वृद्धि के लिए अपील नहीं की गई है अथवा नहीं की गई है। इस संबंध में मामलों में इस न्यायालय के निम्न निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णयन नादिर खान प्रति राज्य ( दिल्ली प्रशासन) ए. आई. आर (1976) एस. सी. 2205 और एकनाथ शंकररू मुक्कावर प्रति महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर (1977) एस. सी. 1177 का सन्दर्भ ग्रहण किया जा सकता है। इस न्यायालय में पूर्व में ही जयराम विठोबा और अन्य प्रति बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 146 और बचन सिंह और अन्य प्रति पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1980) एससी 267 के मामलों में स्थापित किया जा चुका है कि पुनरीक्षण अधिकारिता के अन्तर्गत दण्ड के परिमाण में वृद्धि की स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किया जा सकता है। मामले में, निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला को सुनवाई का कोई अवसर दण्ड के परिमाण में वृद्धि पर नहीं दिया गया था।

अतः, पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला की दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अन्तर्गत दोषसिद्धि को बरकरार रखने में सही था, लेकिन दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दी गई आजीवन कारावास की सजा को मृत्युदंड में बढ़ाने में न्यायसंगत नहीं था।

अब अपीलार्थी मोहम्मद के मामले की ओर मुड़ते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि उसकी दोषसिद्धि न्यायालय में उसकी पहचान के एकल साक्ष्य रंजन सिंह (पीडब्लू 7) और साथ ही परीक्षण पहचान परेड पर आधारित है, यह अपीलार्थी कार के बाईं ओर से आये स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा था और पीड़ितों पर गोली चला दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि सूचनादाता के साथ जो कार में थे, इस अपीलकर्ता की पहचान कर सकते थे, जिसने उसे देखकर स्कूटर से गोली चलाई थी और सूचना देने वाला उस व्यक्ति की पहचान कर सकता था उसे देखकर, जो मोटर साइकिल चला रहा था और किस मोटर साइकिल पर आरोपी सुरेंद्र सिंह रौतेला पीछे की सीट पर बैठा था और उस पर गोली चला दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता के उपरोक्त कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपीलकर्ता मोहम्मद अनीस की पहचान नहीं कर सकता था। साक्षी ने आमने-सामने और सत्र न्यायालय में पहली बार उसकी पहचान की। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी मोहम्मद अनीस की रंजन सिंह (पीडब्लू 7) द्वारा पहचान एक प्रहसन बन जाता है और न्यायालय में भी इस पहचान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, हमारे पास इसे बनाए रखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, उच्च न्यायालय इस अपीलार्थी के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखने में न्यायोचित नहीं था।

जहाँ तक झारखंड राज्य की ओर से की गई अपील का संबंध है निश्चित रूप से, यह याचिका उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत आरोप से बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, लेकिन राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. बी. सान्याल ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपरोक्त धारा के अन्तर्गत बरी होने का मामला इस आधार पर दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने की कानून में अनुमति नहीं थी चूँकि सुरेंद्र सिंह रौतेला को एक साथ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की 27 (3) के अन्तर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर सहमति वाले फैसले में बरी किए जाने पर आपत्ति जताई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान

मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं था कि अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला पर दंड संहिता की धारा 302 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत अपराधों के लिए एक साथ मुकदमा चलाने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है क्योंकि यह संहिता की धारा 220 के प्रावधानों के विपरीत है। संहिता की धारा 220 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि यदि अपराधों की एक श्रृंखला में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो उस पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उस पर एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। संहिता की धारा 220 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत इस मामले में भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दो अपराधों का खुलासा किया गया है, एक दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत रंजन सिंह (पीडब्लू 7) पर गोलीबारी के लिए और दूसरा मृतक धनंजय सिंह पर गोलीबारी के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला द्वारा गोली चलाने का कार्य दंडनीय अपराध होने के अतिरिक्त शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत भी दंडनीय अपराध है।

संहिता की धारा 220 की उप धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, यदि एक ही अनुक्रम में किसी आरोपी का कृत्य अलग-अलग कानूनों के अन्तर्गत एक से अधिक अपराध हैं, तो उन पर आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार मामले की विशिष्टता को देखते हुए संहिता की धारा 220 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उपबंध, जो हमारे पास हैं, के अधीन, यह अभिनिर्धारित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सहमति वाले फैसले में यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं था कि दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अपराधों के लिए अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह रौतेला पर एक साथ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं थी, साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (3) के अन्तर्गत आरोप पूरी तरह से अनावश्यक था।

परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील सं० 628-29 वर्ष 2001 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेन्द्र सिंह बंगाली के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत सुनाई गई मौत की सजा को दरकिनार किया जाता है और निचली अदालत द्वारा उस धारा के अन्तर्गत सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बहाल किया जाता है।

आपराधिक अपील सं. 630 वर्ष 2001 स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी मौ० अनीस की दोषसिद्धि और दण्ड को दरकिनार करते हुए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। अपीलार्थी मोहम्मद अनीस यदि इस मामले में हिरासत में हो तो उसे रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

विशेष अनुमति याचिका सं० 1964-65 वर्ष 2001 से उत्पन्न राज्य की आपराधिक अपीलों को तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

अपीले निस्तारित